सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
चतुर्थ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003

अ.शा. पत्र संख्या: 11015/3/2015-डब्ल्यूक्यू
दिनांक: 7 मई, 2015

विषय: जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज के कार्यनिष्पादन की माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री द्वारा समीक्षा।

प्रिय महोदय / महोदया,

माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों की कवरेज के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है और इस मंत्रालय को निदेश दिए है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने और जल गुणवत्ता से प्रभावित सभी बसावटों में यथासंभव शीघ्र निरापद पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सलाह दी जाए।

2. आपको विदित है कि आज की तारीख में 63,282 ग्रामीण बसावटों में लगभग 3.6 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व, खारापन अथवा नाइट्रेड से रासायनिक रूप से संदूषित पेयजल का उपयोग करने की जोखिम उठा रही है। इनमें से 11,309 ग्रामीण बसावटों में 86 लाख व्यक्ति अत्यधिक फ्लोराइड की वजह से जोखिम उठा रहे है और 1482 ग्रामीण बसावटों में लगभग 25 लाख लोग अधिक आर्सेनिकयुक्त जल का उपयोग करने की जोखिम उठा रहे हैं। चूँकि ये दो संदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यत हानिकारक हैं इसलिए इन बसावटों में निरापद पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उच्चतम प्राथमिकता दी जाए।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5 राज्यों यथा असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के उच्च प्राथमिकता वाले जापानी एनसेफलाइटिस (जेई)/एक्यूट एनसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) वाले 60 जिलों की पहचान की है। आपको विदित है कि इन अत्यधिक बैक्टीरिया/विषाणु समस्याओं की वजह से काफी बडी संख्या के बच्चे मर रहे हैं। इसलिए इन प्रभावित जिलों में भी निरापद पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समान प्राथमिकता दी जाए।

4. इन समस्याओं के अलावा 12,000 से अधिक ग्रामीण बसावटों में यूरेनियम, सीसा, अल्युमिनियम और क्रोमियम आदि जैसी भारी धातुओं की विभिन्न समस्याओं में वृद्धि हुई है और इनमें से अधिकांश कैंसरजन्य हैं इसलिए इन जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों में तुरन्त निरापद पेयजल का प्रबंध करने की आवश्यकता है।

5. यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों की कवरेज के लिए दिए गए लक्ष्यों को कभी भी विभिन्न कारणों से पूरा नहीं किया गया है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित अधिकारियों / इंजीनियरों को निदेश दे कि वे निरापद सतह जल निकायों से पाइप द्वारा जल आपूर्ति करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें और इस दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाने पर भी विचार करें ताकि सभी प्रभावित ग्रामीण लोगों को पीने और खाना बनाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) कम से कम 8 से 10 लीटर निरापद पेयजल तत्काल उपलब्ध हो सके।

6. अंत में, मैं आपसे जल गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामीण बसावटों में निरापद पेयजल की कवरेज के लिए एक समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना भेजने का अनुरोध करता हूँ।

सादर,

आपका,

(सत्यब्रत साहु)

सभी प्रधान सचिव/सचिव
प्रभारी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम

<u>प्रतिलिपि:</u>

1) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (एनआईसी),पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।